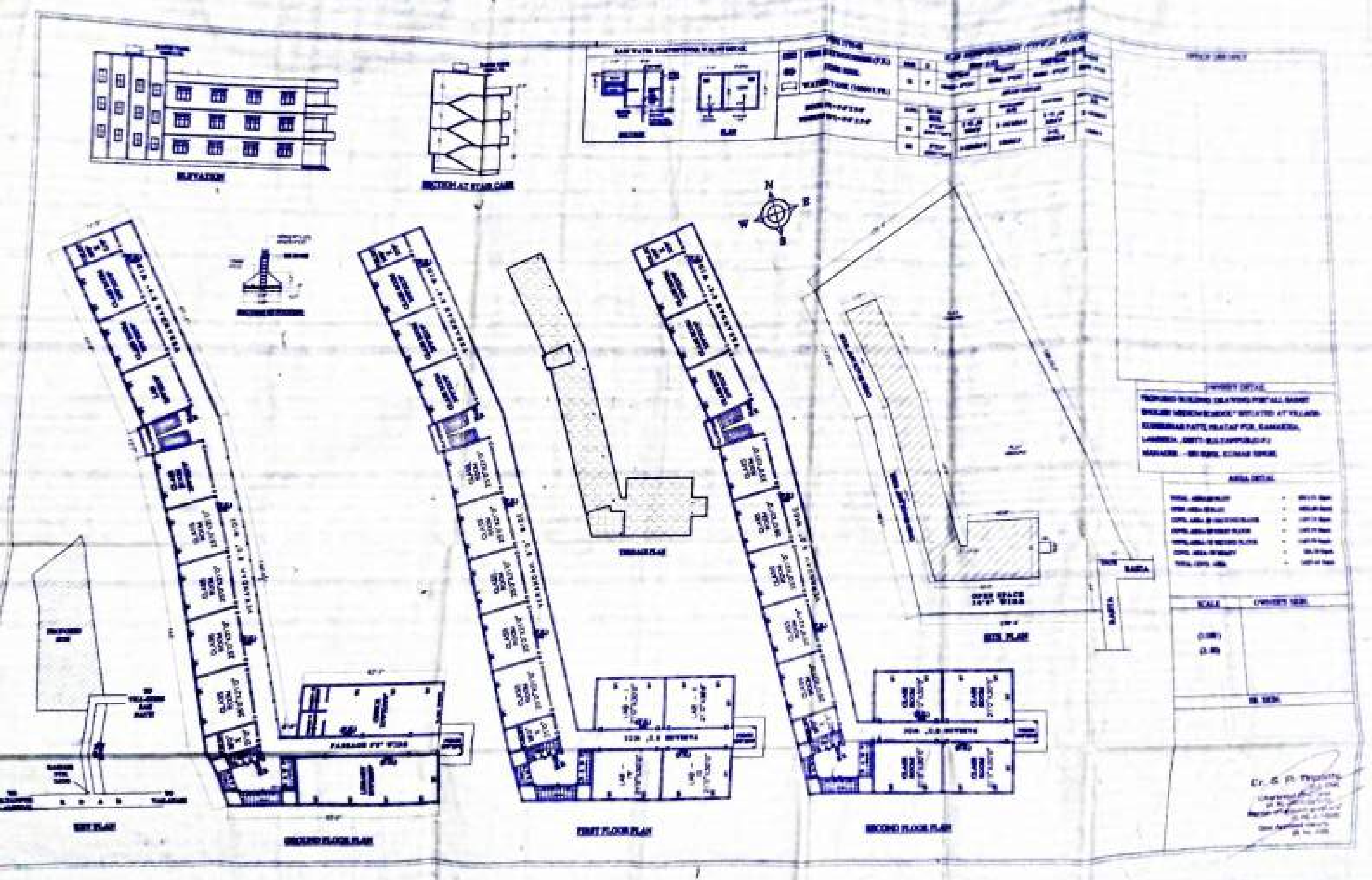
ELEVATION
SECTION AT STAIR CASE
N
S
W
TERRACE PLAN
SITE PLAN
RASTA
OWNER DETAIL
AREA DETAIL
SCALE
KEY PLAN
GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
Er. S. P. Tripathi

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

संख्याः– 226 /जि0पं0कार्या0/2022–23 दिनांकः 11-11-2022

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या–328/एसटी–मुविअ/09/2022–23 दिनांक–28.09.2022 के क्रम में श्री सुनील कुमार सिंह प्रबन्धक, आल सेन्ट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्राम कुबेरशाह पट्टी बि0ख0–प्रतापपुर कमैचा जनपद सुलतानपुर के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रबन्धक श्री सिंह से पत्राचार कर विद्यालय भवन के सम्बन्ध में जिला पंचायत सुलतानपुर की भवन मानिचत्र उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/अभियन्ता के निरीक्षण एवं अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर की संस्तुति उपरान्त प्रश्नगत भवन को नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप पाते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या– 225/जि0पं0कार्या0/2022–23 दिनांक–11.11.2022 द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानों का अनुपालन करने के प्रतिबंध के साथ अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया गया है। कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

पृष्ठांकन सं0:– /जि0पं0कार्या0/2022–23 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री सुनील कुमार सिंह प्रबन्धक, आल सेन्ट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्राम कुबेरशाह पट्टी बि0ख0–प्रतापपुर कमैचा जनपद सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।

कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर।

अनुज्ञा–पत्र/स्वीकृति

पत्रांक: 225 /जि0पं0सु0/मा0अनु0/2022–23 दिनांक: 11-11-2022

श्री सुनील कुमार सिंह प्रबन्धक,
आल सेन्ट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल
निवासी–ग्राम–कुबेर शाहपट्टी पो0–नरहरपुर
वि0ख0–प्रतापपुर कमैचा
तहसील–लम्भुआ
जनपद सुलतानपुर।

<u>विषयः–शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक ग्राम कुबेरशाह पट्टी वि0ख0 प्रतापपुर कमैचा जनपद सुलतानपुर की आराजी संख्या–228 में शैक्षणिक भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि जिला पंचायत सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, पर जिला पंचायत सुलतानपुर की आयुक्त महोदय अयोध्या मण्डल, अयोध्या की स्वीकृति के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट में प्रकाशित उपविधि संख्या–खण्ड 74/सं0 35/भाग–3 दिनांक 12.09.2020 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाती है:–

1.अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी, तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

2.कोई भी व्यक्ति कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृति होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तर दायित्व आवदेक का होगा।

3.प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित /अतिक्रमण न किया जाय।

4.जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सिवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

5.मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 07 यथावत लागू रहेगे।

6.प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया–3933.65 वर्गमीटर में ग्राम कुबेरशाह पट्टी वि0ख0 प्रतापपुर कमैचा जनपद सुलतानपुर की आराजी संख्या–228 में ही कराया जायेगा।

7.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक ही होगी।

8.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि 03 वर्ष के पश्चात कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत सुलतानपुर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नही किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत सुलतानपुर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नही माना जायेगा।

11.प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 02 पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

12.मानचित्र का परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत सुलतानपुर द्वारा नेशनल बिल्डिग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्नि समन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्रावधान (यदि अनिवार्य है) को स्थानीय मुख्य अग्नि समन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

13.भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

14.प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होगें।

15.रैन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

16.किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत सुलतानपुर उत्तरदायी नही होगा।

17.प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्रावधानो के सुरक्षा मानको के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत सुलतानपुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या: /जि0पं0सु0/मा0अनु0/2022-23 तद्दिनाक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-मा0अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत सुलतानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

2.- मुख्य विकास अधिकारी महोदय सुलतानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3-अभियन्ता, जिला पंचायत सुलतानपुर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

4-श्री दिनेश कुमार, अवर अभियन्ता, जिला पंचायत को इस आशय से कि उक्त स्वीकृति पत्र के सापेक्ष ही कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सुलतानपुर।